

इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी

विषय:- जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर क खाता संख्या 95

महोदय

मे इन्द्राज दुरुस्ती बाबत ।
प्रार्थी:- प्रकाशचंद्र बैरवा पुत्र सोवल्या जाति-बैरवा गंगापूर

काजी राम
7-11-25

3133
10-11-2025

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर क खाता संख्या 95 मे प्रार्थी की पिता सोवल्या का नाम/जाति/ बैरवा अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता सोवल्या की बैरवा जाति/ बैरवा शब्द करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी की पिता सोवल्या का नाम/जाति/ बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

प्रकाशचंद्र बैरवा
हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

सोवल्या
हस्ताक्षर पटवारी
गंगापूर सिटी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5239

दिनांक 6/11/25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति-चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति-बैरवा दुरुस्त करने की अभिशंषा की जाती है।

7/24
17-11-25

तहसीलदार(भू.अ.)

गंगापूर सिटी (सकाम)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक

क्रमांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण मे ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला संभा की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 95 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि जाति-चमार के स्थान पर जाति-बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते है।

150
17-11-25

2025
531

सोवल्या
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

